अवैध खनन का विरोध करने पर खनन माफिया ने ग्रामीणों को धमकाया

आक्रोशित ग्रामीणों ने मांडलगढ़ में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ में बिजौलियां थाना क्षेत्र के नयानगर में ग्रामीणों पर खनन माफिया और पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। खनन माफिया और पुलिस पर महिलाओं व ग्रामीणों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मांडलगढ़ थाना प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन व डीएसपी बाबूलाल विश्नोई को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया कि नया नगर की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 124 के करीब पांच बीघा हिस्से में नागपाल बंजारा और इसके गिरोह के लोग बीते 2 माह से करोड़ों रूपये के सेंड स्टोन का अवैध खनन चोरी कर लिया है, जब ग्रामीणों ने उक्त अवैध खनन की प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस को शिकायत की तो खनन माफिया के लोगों ने ग्रामीणों को हथियारों के दम पर गांव की महिलाओं को जातिसूचक गाली-गलौच की और कुछ युवकों व ग्रामीणों के साथ मारपीट कर धमकाया गया। ज्ञापन में बताया कि खनन माफिया के इशारे पर बिजौलियां थाने के पुलिसकर्मियों ने गांव के कई लोगों को जबरन थाने में लाकर बंद कर दिया, पुलिस ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाकर धमकाया।

नयानगर में अवैध खनन बन्द करने की मांग लेकर पहुंचे आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन की शिकायत बिजौलियां उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और खनिज विभाग को कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आज से तीन साल पूर्व इसी सरकारी भूमि में खनिज विभाग ने अवैध खनन का पंचनामा बनाया था।

नया नगर की सरकारी भूमि में खनन नियमों को ताक में रखकर काफी गहराई तक धड़ल्ले से सेंडस्टोन का अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण होने के कारण पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इस मामले को लेकर नयानगर की

- **ज्ञापन में खनन माफिया और पुलिस पर महिलाओं व ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया**

महिलाओं में मोहनी देवी भील, नंदू देवी भील, गुलाबी देवी भील, प्रेम देवी भील व लादी बाई भील ने प्रोबेशनर आईपीएस जतिन जैन को नागपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने ओर न्याय की गुहार लगाई है। उधर खनिज विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बताया कि ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर मौक़े पर जाकर वैध या अवैध खनन की जांच की जाएगी।

बिजौलियां थानाधिकारी ने बताया कि नागपाल बंजारा वैध खदान पर कुछ युवकों ने जाकर हंगामा करने की शिकायत पर कुछ चिन्हित युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था और कुछ युवकों को पाबंद भी किया गया है। शिकायत में पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

भारतीय जाली मुद्रा सप्लाई मामले में एक गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। भारतीय जाली नोट सप्लाई करने के मामले में पुलिस थाना जोबनेर ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक से पुलिस ने 100 रुपए के 21 जाली नोट भी जब्त किए हैं।

थाना अधिकारी जोबनेर सुहेल खान के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आनन्द शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस सह-पुलिस

- **पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 100-100 रुपये के 21 जाली नोट जब्त किये**

अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया है कि जिले में अवैध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ व भारतीय जाली नोट छापने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अभी आसलपुर से पहले एक दुकानदार से 100 रुपये के जाली नोट का सामान खरीद कर आसलपुर फाटक की तरफ पैदल भाग गया है, जिसके पास

जोबनेर थाना पुलिस ने भारतीय जाली नोट सप्लाई करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

काफी मात्रा में जाली नोट हो सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम आसलपुर फाटक से करीब 100-200 मीटर पहले जोबनेर रोड़ पर पंहुची और नाकाबंदी कर एक व्यक्ति अशोक कुमार बलाई पुत्र स्व. श्रवणलाल बलाई निवासी लालासर बावड़ी थाना रेनवाल जिला जयपुर के कब्जे से 100-100 रुपये के 21 भारतीय जाली नोट जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आरोपी ने इससे पूर्व भारतीय जाली मुद्रा किन-किन व्यक्तियों को, किन-किन स्थानों पर और कितनी मात्रा में कूटरचित भारतीय मुद्रा सप्लाई की है। साथ ही इसके गिरोह में अन्य कौन-कौन अपराधी शामिल हैं, इस संबंध में भी पूछताछ जारी है।

पावटा प्रागपुरा नगर पालिका का विस्तार होगा

पावटा, (निसं)। कोटपुतली-बहरोड़ जिले की पावटा प्रागपुरा नगर पालिका का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्तमान सीमा क्षेत्र में छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई है। इस निर्णय के बाद पावटा प्रागपुरा नगर पालिका का क्षेत्रफल बढ़ेगा और अधिक गांवों को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

नगरपालिका के नवीन सीमा विस्तार में ग्राम पंचायत जोधपुरा का राजस्व गांव जोधपुरा, कल्याणपुरा, किरारोड गांव का संपूर्ण सीमा क्षेत्र शामिल होगा। ग्राम पंचायत बड़नगर के अंतर्गत राजस्व गांव बड़नगर, अम्बेडकर नगर, अवधपुरी, दूल्हेसिंह का बास का संपूर्ण सीमा क्षेत्र आएगा। ग्राम पंचायत लाडाकाबास इसमें राजस्व गांव लाडाकाबास, अहीर की बावड़ी, झीडागढ़ का संपूर्ण सीमा क्षेत्र शामिल

- **वर्तमान सीमा क्षेत्र में छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई**
- **नगर पालिका क्षेत्र में विस्तार के बाद इन गांवों में लोगों को शहरी विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा**

किया जाएगा। ग्राम पंचायत खेलना इसके अंतर्गत राजस्व गांव खेलना, गंगुपुरा का संपूर्ण सीमा क्षेत्र शामिल होगा। वही ग्राम पंचायत भांकरी का राजस्व ग्राम भांकरी का संपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत चौबाला का राजस्व ग्राम दादाकाबास का संपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत वीर तेजाजी नगर का राजस्व ग्राम भोजाकाबास का संपूर्ण सीमा क्षेत्र शामिल होगा। नगर पालिका क्षेत्र में विस्तार के बाद इन गांवों में शहरी विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। स्वच्छता, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मकानों, व्यावसायिक परिसरों और अन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा।

प्रशासन का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। विस्तार के बाद नए क्षेत्रों में नगरपालिका की ओर से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका का विस्तार कर छह ग्राम पंचायतों को शामिल करने पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने विधायक कुलदीप धनकड का आभार जताया।

नये शिक्षा सत्र में चार हजार स्कूलों को प्रिंसिपल मिलेंगे

बीकानेर, (निसं)। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही राजस्थान के चार हजार स्कूलों को प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इस पोस्टिंग के साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंसिपल इधर-उधर हो सकते हैं। फिलहाल रिक्त पदों पर काउंसलिंग करने के लिए शिक्षा विभाग ने मेरिट जारी करते हुए इस पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार साल 2012-13 से साल 2021-22 तक के रिक्त पदों पर शिक्षा विभाग ने शेष रही पदोन्नति कर दी है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में इन 10 सालों की रिव्यू डीपीसी की गई। इसके अलावा साल 2023-24 की मूल डीपीसी करते हुए चार हजार 55 प्रिंसिपल का चयन किया गया है। पूर्व में पदोन्नति के साथ ही इन प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पदस्थापित कर दिया गया था, जहां ये पहले से काम कर रहे थे। स्कूलों में पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए एकबारगी ऐसा पदस्थापन हुआ था।

- **इस पोस्टिंग के साथ ही बड़ी संख्या में प्रिंसिपल इधर-उधर हो सकते हैं**

अब विभागीय नियमों के तहत ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 28 मार्च तक मेरिट पर आपत्ति मांगी है। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सभी चार हजार 55 प्रिंसिपल को अपनी इच्छानुसार स्कूल में जाने का अवसर दिया जाएगा। हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। ऐसे में एक ही स्कूल के लिए दो या इससे ज्यादा आवेदन होने पर मेरिट नियमों के तहत पोस्टिंग दी जाएगी। हर प्रिंसिपल को अपने निर्धारित विकल्प देने होंगे। हर बार की तरह दिव्यांग और महिला कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देते हुए शहर या शहर के आस-पास पोस्टिंग मिलेगी। रिव्यू डीपीसी में कुछ प्रिंसिपल तो अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।

रिफाइनरी में तीन दिन से तेंदुए की दहशत

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा की रिफाइनरी में पिछले तीन दिनों से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। वन विभाग की कई टीमें लगातार प्रयास कर रही है कि तेंदुए को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से पकड़कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। मंगलवार शाम चार बजे के बाद से तेंदुए का लगातार मूवमेंट देखा गया है। कई बार तेंदुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। तेंदुआ मशीनरी और स्ट्रक्चर के पीछे लुकाछिपी कर रहा है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। जोधपुर, बालोतरा और बाडमेर की पांच टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही तेंदुए को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से पकड़ लिया जाएगा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा।

विवाहिता की मौत

निवाई, (निसं)। गांव थली की ढाणी सीदड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी रामजीलाल बैरवा पुलिस जाप्ते के साथ ढाणी में पहुंचे और विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस की सहायता से मृतका के शव को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया।

थानाधिकारी बैरवा ने बताया कि मृतका की पहचान प्रियंका (23) पत्नी पप्पूलाल मीणा के रूप में हुई। थानाधिकारी रामजीलाल बैरवा ने बताया कि मृतका के पिता गिर्राज मीणा निवासी रामनगर खेड़ी तहसील रामगढ़, जिला दौसा ने मामला दर्ज करवाया कि वर्ष 2022 में उसकी पुत्री का विवाह गांव थली की ढाणी सीदड़ा निवासी पप्पूलाल मीणा के साथ हुआ था।

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार), सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टेलीफैक्स 0141-2741489

क्रमांक : प. 1(37)रायुबो/2022/पार्ट II-2025 जयपुर, दिनांक :- 26/03/2025

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 08/2024-25 भोजन एवं आवास व्यवस्था

राज्य सरकार के निर्णय के अध्ययधीन एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान प्रदेश के 100 युवक-युवतियों के लिए दिल्ली में विभिन्न कोचिंग एवं कैरियर काउन्सलिंग हेतु युवाओं को भोजन एवं आवास की वैकल्पिक सुविधा देने हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्म/संस्था/कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र में अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 08/2024-25, दिनांक 26.03.2025 से 07.04.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा संबंधित पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.youthboard.rajasthan.gov.in एवं लोक उपापन पार्टल https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code - RYB2425A0008, UBN No. - RYB2425SLOB00008

राज.संवाद/सी/24/14052 सदस्य सचिव

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION KARAULI

PH.NO. 07464-250219 E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for construction and commissioning of handpump works under phed division karauli are invited from interested bidders up to 02.04.2025 other particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc.rajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.

NIB CODE-PHE2425A5485

S.NO.	NIT NO.	UBN
1	170/2024-25	PHE2425WSOB12001
2	171/2024-25	PHE2425WSOB12002
01	Total work	02
02	Total Estimate Cost	100.00 Lac
03	Bid submission end date	01.04.2025 up to 06.00 PM
04	Bid opening date	02.04.2025 at 11.00 AM

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

DIPR/C/4318/2025

कई वर्षों से आश्रम में रह रहे दो लावारिस बांग्लादेशी निकले

सूरतगढ़, (कासं)। रेलवे स्टेशन पर सात साल और तीन साल पहले मिले दो लावारिस और मंदबुद्धि व्यक्ति जांच में बांग्लादेशी निकले। इन दोनों को एक आश्रम में रखा गया था। दोनों ने बातों ही बातों में अपने गांव का नाम और अन्य जानकारी दी, जिसके बाद आश्रम के सेवादारों ने बुधवार शाम को परिजनों से कॉन्टैक्ट करने के लिए पता गूगल मैप में डाला तो दोनों की लोकेशन बांग्लादेश में निकली। सेवादारों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की और बाद में श्रीगंगानगर मुख्यालय पर जेआईसी को सौंप दिया।

सबइंस्पेक्टर सोहन लाल ने बताया कि सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर वर्ष

- **पुलिस और इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की**

2018 में लावारिस हालत में मिले एक व्यक्ति को नेशनल हाईवे-62 स्थित पालीवाला के हरप्रभ आश्रम में छोड़ा गया था। इसी तरह वर्ष 2022 में भी रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिले एक और व्यक्ति को भी आश्रम में भिजवाया गया था। आश्रम में रहते हुए दोनों की सेवादारों के साथ अच्छी जान-पहचान हो गई। ऐसे में सेवादारों ने बातों-बातों में गांव और परिवार की बात की तो दोनों ने अपने गांव के नाम बता दिए। सेवादारों ने दोनों को उनके परिजनों को सौंपने के लिए जब गूगल पर उनके गांव के नाम सर्च किए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन गांवों के नाम दोनों लावारिसों ने बताए उनकी लोकेशन बांग्लादेश में होने की जानकारी मिली। इस पर आश्रम के सेवादारों ने मामले से सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस को अवगत करवाया, जिस पर पुलिस जाप्ता तुरंत ही मौके पर पहुंच गया और दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आया।

पूछताछ में एक ने अपना नाम उज्जवल तुहीन खान (30) पुत्र बादल खान बताया। उसने अपने गांव का नाम सोनपुर, जिला पीरिसपुर बताया। दूसरे ने अपनी पहचान अमीरुल इस्लाम (40) पुत्र पीसू मोहम्मद बताई। उसने बताया कि वह मोहतपुर गांव के जिला ठाकुर का रहने वाला है। दोनों की जब लोकेशन गूगल पर डाली तो लोकेशन बांग्लादेश की मिली। पुलिस ने बताया कि दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर में गुप्तचर एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है। जहां दोनों से पूछताछ जारी है। इसके बाद इन्हें आगे डिपोर्टेशन सेंटर भेजा जा सकता है। एसपी गौरव यादव ने कहा- पूछताछ में प्रथम दृष्टया इनके बांग्लादेशी होने की जानकारी सामने आई है। उनके बताए गए नाम पते की उच्चाधिकारियों के स्तर पर आगे जांच करवाई जाएगी। इंटेलिजेंस पुलिस भी इनसे पूछताछ में जुटी है। पूरी पूछताछ के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे

भीलवाड़ा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार 28 मार्च को भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे की तैयारियों का अंतिम जायजा लेने हेतु जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु ने गुरुवार को चित्रकूट धाम में कार्यक्रम स्थल व एमएलवी कॉलेज में बनाए जा रहे अस्थाई हेलीपैड स्थल का जायजा लिया एवं तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के पश्चात जिला कलेक्टर ने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में बनाये जा रहे हेलीपैड स्थल का भी जायजा लिया। राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद बैरवा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे, साथ ही विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ और लाभार्थी लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान महापौर राकेश पाठक, प्रशांत मेवाड़ा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, अति. कलेक्टर ओमप्रकाश मेहरा, ए. एसपी पारस, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, जिला परिषद सीईओ चंद्रभानसिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 09) /2025/ई-10649

ई-नीलामी विज्ञप्ति संख्या- (ERCC/RCC 09)/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञप्ति से अप्रधान खनिजों के प्रभावशील खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसो व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क डी.एम.एफ.टी. आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 26 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPR/C/4275/2025 (दीपक तंवर) निदेशक

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन2-गानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B)(1)((After Policy-2025-24)EX/L/2025-04359/1603 दिनांक-27.03.2025

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु संशोधित ई-निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति पत्रांक 1592 दिनांक 25.03.2025 में उल्लेखित सारणी के क्रम संख्या 1 से 3 तक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

1	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 26.03.2025 दोपहर 3.00 बजे से
2	निविदा दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक-28.03.2025 दोपहर 3.00 बजे तक
3	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 28.03.2025 को दोपहर 4.00 बजे से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय

वर्ष 2025-26 हेतु मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट https://excise.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

NIB-EXC2425A0201, UBN- EXC2425GLOB00191

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी

(शिवप्रसाद नकाते)
आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPR/C/4443/2025

हरियाणा निर्मित शराब बरामद, एक गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरूवार को 17 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव आईपीएस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देशन के फलस्वरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ किशोरी लाल आरपीएस, सहायक पुलिस उप अधीक्षक राजगढ़ निश्चय प्रसाद एम आईपीएस के निकटतम सुपरविजन में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा मय टीम के आरोपी सुमेर सिंह पुत्र हीरा राम जाट निवासी भामासी पीएस राजगढ़ (चूरू) के घर पर छिपाई हुये 17 कार्टन में भरे 624 पव्वे हॉफ माल्टा देशी शराब हरियाणा निर्मित बरामद कर आरोपी सुमेर सिंह को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर

राजगढ़ थाना पुलिस ने गांव भामासी के अवैध शराब सहित एक जने को गिरफ्तार किया।

अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। कार्यवाही में राजगढ़ थाना पुलिस टीम में राजेश कुमार सिहाग थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक, कुलदीप कांस्टेबल, सुरेश कुमार कांस्टेबल, कर्मपाल कांस्टेबल, इंद्र कुमार कांस्टेबल व अनिता महिला कांस्टेबल आदि शामिल रहे। कार्यवाही में सुरेश कुमार कांस्टेबल व कर्मपाल कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही।

केमिकल चोरी और बिक्री मामले में दो जने गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। दुधवा खारा थाना पुलिस ने एजीटीएफ अपराध शाखा जयपुर टीम के निर्देशन पर सादुलपुर चूरू एनएच 52 पर स्थित होटल के पास बाड़े में केमिकल चोरी करने और बिक्री करने के आरोप में गुरूवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा केमिकल से भरे 54 प्लास्टिक ड्रम जब्त कर दो लाख से अधिक की नगद राशि भी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने एक टैंकर सहित इलेक्ट्रॉनिक कांटा ज्वलनशील केमिकल निकालने के उपकरण पाइप मोटर भी जब्त की है।

थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने बताया कि केमिकल मामले पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि सादुलपुर-चूरू हाईवे पर एक होटल के पास एक बाड़े में अवैध ज्वलनशील पदार्थ केमिकल का कारोबार हो रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक केमिकल से भरे टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ निकालकर चोरी हो रहा है तथा दो व्यक्ति टैंकर पर ऊपर ढक्कन खोलकर पाइप लगाकर इलेक्ट्रिक मोटर से प्लास्टिक के ड्रमों में केमिकल भर रहे थे, जिनको हिदायत

- **केमिकल से भरे 54 ड्रमों सहित टैंकर जब्त, दो लाख से अधिक की नगदी बरामद की**

दी तथा दोनों को काबू कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम नजीर खान पुत्र हकीम खान निवासी मोयलो का बास बाडमेर जिसने अपने आपको टैंकर का चालक होना बताया तथा केमिकल के पास खड़े व्यक्ति ने अपना नाम चन्दगीराम राम यादव उर्फ राजू पुत्र शंकरलाल यादव निवासी सेक्टर नंबर०दो प्लॉट नंबर 165 विद्याधर नगर जयपुर होना बताया तथा अपने आप को केमिकल खरीदने वाला होना बताया तथा केमिकल चोरी कर ड्रम भरना और बाद में केमिकल को बेचना बताया। मौके पर ज्वलनशील पदार्थ अवैध भंडारण के संबंध में सुरक्षा आत्मक उपाय नहीं किए गए। जिससे दुर्घटना जन हानि होने की संभावना है। केमिकल के कारोबार के संबंध में लाइसेंस परमिट कागजात नहीं होना पाया गया।

दो गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने अवैध हथियार चाकू सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुमानपुरा थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि टीम ने घण्टाघर निवासी अब्दुल सलाम (42) को गिरफ्तार किया। वहीं आमिर उर्फ नीलू को अवैध हथियार चाकू सहित गिरफ्तार किया।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC HELTH ENGINEERING DEPARTMENT
CIRCLE BEAWAR (KDISTRICT-BEAWARA), EMAIL:sephedbeawar@gmail.com

No.SE/CIRCLE BWR/2024-25/7540 **ONLIE NOTICE INVITING FOR TENDERS** Dated: 12.03.2025

Online tenders are invited on behalf of the Governor of Rajasthan for the following works from enlisted contractors with to PHED Rajasthan and meeting eligibiliy criteria. The tender document can be downloaded from the web site http://eproc.rajasthan.gov.in in details od the tender notification and prequalification criteria can also seen in NIT exhibited on web site http://sppp.rajasthan.gov.in

NIT No.	Work Description	Estimated Cost (Rs.in Lacs)	Earnest Money (in Rs.) in favour of tender inviting authority	Tender Cost (in Rs.)in favour of tender inviting authority	Processing charges (in Rs) in favour of MD RISL, Jaipur	Period of Contract
24/ 24-25	Work of Providing Laying, Jointing and commissioning of Various size of Di/HDPE PIPE Line with allied works for various wss under rurisdiction of PHED Division Beawar on Annual Rate Contract Basis	200.00	4,00,000/-	2000/-	2000/-	12 Month

निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथी	12.03.2025 से 31.03.2025 सायं 03.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथी एवं समय	12.03.2025 से 31.03.2025 सायं 03.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी एवं समय	31.03.2025 सायं 03.00 बजे तक
प्री-क्वालीफिकेशन बिड खोलने की तिथी एवं समय	01.04.2025 दोपहर 02.00 बजे तक

Earnest Money/Bid Security, Tender Document Cost, and RISL Charges shall be deposited through e-Challan over e-GRASS website online in Favour of Executive Engineer PHED Division Beawar (Office ID-11132) for NIT.

S.No.	Details	Budget Head	Deposited through online e-Challan over website e-GRASS
1	Earnest Money	8443-00-108-00-00 लोक निर्माण विभाग	In Favour of Executive Engineer, PHED Division Beawar
2	Tender Document Cost	0075-00-800-52-01 निविदा शुल्क की प्राप्तियां	(Office ID-11132)

DIPR/C/4278/2025 (SAMPATLAL JEENGER) SUPERINTENDING ENGINEER, PHED CIRCLE BEAWAR